

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.प.एस

राजस्व आवेदन संख्या 110/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पोकरराम पुत्र मुकनाराम		1. जैरामाराम पुत्र चौनाराम
2. अनुदेवी पत्नि जेठाराम		2. नगाराम पुत्र चैनाराम
3. खेताराम पुत्र अचलाराम		3. भंवराराम पुत्र चैनाराम
4. खेमीदेवी पुत्री जेठाराम		4. लिछमणाराम पुत्र चैनाराम
5. चुतराराम पुत्र लिखमाराम		5. जगराम पुत्र खेताराम
6. जगराम पुत्र रिडमलराम		6. प्रहलादराम पुत्र खेताराम
7. जीयाराम पुत्र रूगाराम		7. बालीदेवी पत्नि खेताराम
8. जोगाराम पुत्र रिडमलराम		8. मोटाराम पुत्र खेताराम
9. धनाराम पुत्र रूगाराम		9. केसराराम पुत्र टीकमाराम
10. नवलीदेवी पत्नि रूगाराम		10. जैरामाराम पुत्र टीकमाराम
11. प्रेमलता पुत्री रूगाराम		11. मानाराम पुत्र टीकमाराम
12. मगाराम पुत्र जेठाराम		12. पुनमाराम पुत्र मंगलाराम
13. मीरोदेवी पुत्री जेठाराम		13. भीयाराम पुत्र केसराराम
14. रावताराम पुत्र अचलाराग		14. वालीदेवी पत्नि नीम्बाराम
15. वनुदेंवी पत्नि मुकनाराम		15. कंवराराम पुत्र कुम्भाराम
16. वरजूदेवी पत्नि अचलाराम		16. चौलाराम पुत्र पेमाराम
17. सताराम पुत्र जेठाराम		17. राउराम पुत्र पेमाराम
18. हड़मानराम दतक पुत्र पुराराम		18. पोकराराम पुत्र रतनाराम
जातियान जाट निवासीयान बोलाडेर		19. हेमाराम पुत्र रतनाराम
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		20. भैराराम पुत्र देराजराम
		21. दुर्गाराम पुत्र लालाराम
		22. नरीगाराम पुत्र पदमाराम
		23. खेताराम पुत्र पैलादराम
		24. नवलाराम पुत्र नरीगाराम
		25. खेमाराम पुत्र पुरखाराम
		26. रावताराम पुत्र मगाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



27. पूनमाराम पुत्र केहराराम
28. रहीगाराम पुत्र धनाराम
29. गणेशाराम पुत्र पूनमाराम
30. अनु पत्नि देराजराम
- जातियान जाट निवासीयान धोलाडेर
- खरंटिया तहसील सिणधरी जिला
- बालोतरा
31. तहसीलदार सिणधरी ।

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

उपस्थिति-

1. श्री पाबुराम बेनिवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित ।
2. विप्रार्थी एकतरफा ।

आदेश

दिनांक 01.10.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम धोलाडेर में खेत खसरा संख्या 30, 31, 32./1, 32/2, 48, 48/1, रकबा क्रमश 0.2023, 0.0243, 9.0608, 4.6032, 0.0890, 12.4829, 0.1861 व ग्राम खरंटिया खसरा नम्बर 175 रकबा 6.6014 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया ग्राम धोलाडेर के खेत खसरा संख्या 30, 31, 32./1, 32/2, 48, 48/1, रकबा क्रमश 0.2023, 0.0243, 9.0608, 4.6032, 0.0890, 12.4829, 0.1861 व ग्राम खरंटिया खसरा नम्बर 175 रकबा 6.6014 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का

उपप्रधान अधिकारी
सिणधरी

पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम धोलाडेर के खेत खसरा संख्या 30, 31, 32, /1, 32/2, 48, 48/1, रकबा क्रमश 0.2023, 0.0243, 9.0608, 4.6032, 0.0890, 12.4829, 0.1861 व ग्राम खरंटिया खसरा नम्बर 175 रकबा 6.6014 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया ग्राम धोलाडेर के खेत खसरा संख्या 30, 31, 32, /1, 32/2, 48, 48/1, रकबा क्रमश 0.2023, 0.0243, 9.0608, 4.6032, 0.0890, 12.4829, 0.1861 व ग्राम खरंटिया खसरा नम्बर 175 रकबा 6.6014 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम धोलाडेर के खेत खसरा संख्या 30, 31, 32, /1, 32/2, 48, 48/1, रकबा क्रमश 0.2023, 0.0243, 9.0608, 4.6032, 0.0890, 12.4829, 0.1861 व ग्राम खरंटिया खसरा नम्बर 175 रकबा 6.6014 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल खरंटिया के ग्राम धोलाडेर में खेत खसरा संख्या 30, 31, 32, /1, 32/2, 48, 48/1, रकबा क्रमश 0.2023, 0.0243, 9.0608, 4.6032, 0.0890, 12.4829, 0.1861 व ग्राम खरंटिया खसरा नम्बर 175 रकबा 6.6014 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए

3
सहायक सचिव

नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर विमुक्त किया जाता है, इस कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करने हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर ज़रूरी करेगा। अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल गिराल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 01.10.2024 को लिया जाकर खुले ग्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी